



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)  
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Bajiro (Garhwal)  
E-mail : eepwdbajiro@rediffmail.com, eepwdbajiro01@gmail.com



पत्रांक :- 1227/14 सी०

दिनांक :- 15/07/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गढ़वाल वन प्रभाग,  
पौड़ी (गढ़वाल)

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल में बसोला- बगडियालगाँव- समया- मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.132 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।  
सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 2391/12-1 देहरादून दि० 24.05.2024

महोदय,


उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग आनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/14471/2015 की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या 08/बी/यू०सी०पी०/06/6/2016 एफ०सी०/914 दिनांक 05.09.2016 द्वारा प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नानुसार है।

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.264 है० ग्राम ढौण्ड की सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हुये यथसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग की स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा भूमि हस्तान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ग्राम-ढौण्ड पट्टी ढौंडियालस्यू के नान जेड०ए० खतौनी खाता संख्या 21 में खसरा संख्या 7352 रक्वा 5.297 है० व खसरा संख्या 7354 रक्वा 1753 है कुल रक्वा 7.050 है० में से 6.264 है० जिलाधिकारी महोदय पौड़ी के पत्रांक 309/26-प्रशा०अधि०(सा०प्रशा०)/2016 दिनांक पौड़ी अक्टूबर 28/2016 द्वारा नामान्तरण/हस्तान्तरण किया गया है (छाया प्रति संलग्न) प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव की धनराशि एन०पी०वी० की धनराशि के साथ पूर्व ही जमा की जा चुकी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि रू० 2057724.00 जमा की जा चुकी है। (आनलाईन प्रमाण छायाप्रति संलग्न)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचत बढ़ता प्रस्तुत की जाये।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी होने पर विभाग द्वारा बढ़ी धनराशि जमा किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरुपण निधि प्रबन्धन तथा योजना	भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य

	प्राधिकरण (कैम्पा) के तदर्थ निकाय खाता में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होता है उसी के मध्य से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाये।	(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ चालान जनरेट कर उत्तरांचल कैम्पा के नाम जमा की जा चुकी है। (प्रमाण पत्र संलग्न है)
5	सड़क के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव सड़क के दोनों किनारों तथा <b>Central Verge</b> पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में <b>Strip Plantation</b> की जायेगी। इस आशय की बचत बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो मोटर मार्ग के दोनों किनारों पर विभाग द्वारा अपने व्यय पर <b>strip plantation</b> हेतु रू0 1201686.00 उत्तरांचल कैम्पा के नाम चालान जनरेट कर पूर्व ही जमा की जा चुकी है। (प्रमाण पत्र संलग्न है)
6	State Govt. may correct the details of the forest land proposed for diversion and the non-forest land given in the village wise break up in para-B2.3 of online Part-I	आनलाईन पार्ट 1 के पैरा B 2.3 में ग्रामवार ब्रेकअप की सूचना आनलाईन दर्ज की गयी है।
7	State Govt. may also upload the map in SoI Toposheet of land proposed for CA in para 1 (VI) of online Part-I and para-13 (iii) of online Part-I	आनलाईन पार्ट 1 के पैरा L (VI) और पार्ट 2 के पैरा-13 (iii) के अतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की टोपोसीट मैप अपलोड कर दिया है।

उपरोक्तानुसार प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्री कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को अग्रसारित करने का कष्ट करें।  
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

  
 15/07/24  
 अधिशासी अभियन्ता,  
 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
 बैजरो (गढ़वाल)

पत्रांक:- / 14 सी0 दिनांक:- / /  
 प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षण (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि- सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,  
 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
 बैजरो (गढ़वाल)